



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2024/3303

दिनांक: 29 जुलाई, 2024

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

AGRA PUBLIC COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, AGRA (697)

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 702736/2024/16-1099/1279/2019 दिनांक 26 जुलाई, 2024 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **अस्थाई सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By AICTE	Approved Intake By COA/PCI	Intake Approved For Affiliation
BBA	BBA	120	120	0	120
BCA	BCA	120	120	0	120
Master of Computer Applications	MCA	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	120	120	0	120

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन प्रवृत्ति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/ डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियां/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमोदन के बाद से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number : 32ce1b406a113ef6ff89c616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

5. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमत्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

7. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. संस्थान द्वारा नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण होना चाहिए। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षक नियुक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (विनियम: 6.15)

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)

12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत करायें। (विनियम: 6.13)

13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत करायें। (विनियम: 6.16)

14. संस्थान द्वारा शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कार्यवाही के अधीन होगी।

17. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

18. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

19. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को नियमित रूप से पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों से तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Signature Not
Verified

Digitally signed by Dr. Aruna Singh
Organisation: Personal
Serial Number: 201010
Postal Code: 201010 Country: IN
32ce1b406a113ef6ff89c616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113ef6ff89c616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2024/5185

दिनांक: 02 दिसंबर, 2024

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

AGRA PUBLIC COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, AGRA (697)

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 809700/2024/16-1099/1279/2019 दिनांक 29 नवंबर, 2024 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **अस्थायी सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By PCI	Intake Approved For Affiliation
B.Pharm	Bachelor of Pharmacy	60	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन पद्धति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए०आई०सी०टी०ई०/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता समाप्त की जा सकती है।

Digitally Signed By : DHARMENDRA PAL SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number : f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215599b4475900e9a57d623ba515eed

Signature Not Verified

संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

5. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

7. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. संस्थान द्वारा नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण होना चाहिए। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षक नियुक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)

12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)

13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)

14. संस्थान द्वारा शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

17. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाय, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL
SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215
599b4475900e9a57d623ba515eed

राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

18. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

19. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

20. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

**Signature Not
Verified**

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL
SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae5404e7c1b7b7bfe6310f212c9215
599b4475900e9a57d623ba515eed